



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-06.03.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्तगण 1. कमला प्रसाद, 2.अंशुमाली जायसवाल, 3.नरेन्द्र जैन को अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व कुल- 1600-1600 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 329/2005, धारा- 504, 506, 427, 285 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. कमला प्रसाद पुत्र नन्दलाल सोनकर निवासी ढेलवरिया थाना-जैतपुरा वाराणसी, 2. अंशुमाली जायसवाल पुत्र शंकर प्रसाद जायसवाल निवासी सी-33/294 थाना दशाश्वमेध वाराणसी, 3. नरेन्द्र जैन पुत्र कान्तीलाल जैन निवासी कोदई चौकी के सामने थाना दशाश्वमेध वाराणसी को थाना-सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 06.03.2025 को मा0 न्यायालय JM-02 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा- 504, 506, 427, 285 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व कुल- 1600-1600 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी